न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मालाखेडा,जिला अलवर (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी :– देवी सिंह (आर.ए.एस)

दावा संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
3/05	12.02.2024	01.07.2024

बउनवान

01.तोताराम पुत्र बद्री प्रसाद
02.राधेश्याम पुत्र बद्री प्रसाद साहू निवासी हल्दीना (मृतक)
2/1.नरेन्द्र कुमार पुत्र राधेश्याम जाति तेली निवासी हल्दीना
2/2.पवन कुमार पुत्र राधेश्याम जाति तेली निवासी हल्दीना हाल निवासी 160 फुट रोड शिव नगर अलवर।
2/3.खिल्लू पुत्र राधेश्याम जाति तेली निवासी हल्दीना हाल निवासी ग्राम बिछोर तहसील पुनाणा, जिला नुँह मेवात हरियाणा।
2/4.पुष्पा पत्नि देवेन्द्र कुमार जाति तेली निवासी हल्दीना।
2/5.पियुष पुत्र देवेन्द्र निवासी हल्दीना तहसील मालाखेडा।

––प्रार्थीगण

बनाम

1. शिवराम पुत्र गुट्यायाराम जाति जाट
2. रामजति पुत्र गुट्यायाराम जाति जाट
3. हरिराम पुत्र गुट्यायाराम जाति जाट
4. बब्बु उर्फ बाबूलाल पुत्र धन्ना जाति जाट
5. कमल सिंह पुत्र धन्ना जाति जाट
6. रूपसिंह पुत्र धन्ना जाति जाट
7. धनपाल पुत्र धन्ना जाति जाट निवासीयान हल्दीना तहसील मालाखेडा जिला अलवर।
8. तहसीलदार मालाखेडा जिला अलवर।

–– अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0 आर0 एक्ट

–:निर्णय:–

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0 आर0 एक्ट पेश कर निवेदन किया कि वाके ग्राम हल्दीना, तह मालाखेडा जिला अलवर राज० मे आराजी खसरा नंबर 658 रकबा 0.08 है0, 659 रकबा 0.12 है0, 717/4288 रकबा 0.13 है0, 725 रकबा 0.47 है0, 726 रकबा 0.05 है0, 727 रकबा 0.05 है0, 728 रकबा 0.12 है0, किता 7 रकबा 1.02 है0 वाके ग्राम हल्दीना, तह मालाखेडा जिला अलवर राज0 में स्थित है। विवादित आराजी प्रार्थीगण की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस पर विवादित आराजी पर प्रार्थीगण काबिज रहकर बिना किसी बाधा व रूकावट के काश्त करता आ रहा है। आज भी विवादित आराजी शामिल पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त खातेदारी का मौजूद है। विवादित आराजी खातेदारी की आराजी से अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 7 का कोई हक व किसी प्रकार का संबंध नही है। अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 7 बेईमान किस्म व झगडालू प्रवृति के व्यक्ति है। अप्रार्थीगण जबरन अनाधिकार पूर्वक प्रार्थीगण के पीछे से प्रार्थी की गैर मौजूदगी में विवादित आराजी की बनी डोल को काटते है। जबरन कब्जा करने पर अमादा रहते है। प्रार्थीगण के कब्जे काश्त कार्य करने पर बाधा डालते है।अप्रार्थी संख्या 1 लगा0 7 एक राय होकर दिनांक 25.01.2024 प्रार्थीगण की आराजी में बाधा डाली तथा स्पष्ट धमकी दी कि अब वो प्रार्थीगण की विवादित आराजी पर प्रार्थीगण की गैर मोजूदगी मे आराजी मे बनी डोल करके रहेगे और जबरन अपना कब्जा करके रहेगे। प्रार्थी अपनी विवादित आराजी की सुरक्षा हेतु पत्थरगढ़ी कराने के अधिकारी है। अतः प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की कब्जे काश्त खातेदारी की

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेडा (अलवर)

आराजी खसरा नंबर 658 रकवा 0.08 है0, 659 रकवा 0.12 है0, 717/4288 रकवा 0.13 है0, 725 रकवा 0.47 है0, 726 रकबा 0.05 है0, 727 रकबा 0.05 है0, 728 रकवा 0.12 है0, किता 7 रकवा 1.02 है0 वाके ग्राम हल्दीना, तह मालाखेडा जिला अलवर की पत्थरगढ़ी जर्ये पुलिस इमदाद करवाये जाने के आदेश प्रदान करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण जर्ये नोटिस तलब किये । अप्रार्थीगण की ओर से अभिभाषक उपस्थित हुए किन्तु अप्रार्थीगण के अभिभाषक को जवाब प्रस्तुत करने के पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने पर जवाब बन्द किया गया। तहसीलदार मालाखेडा से विवादित आराजी की सीमाज्ञान रिपोर्ट चाही गई। तहसीलदार मालाखेडा ने अपने पत्र कमांक एलआर/2/2024/77 दिनांक 10.06.2024 द्वारा विवादित आराजी की सीमाज्ञान दिनांक 31.05.2024 को कराते हुए मौका पर्चा सीमाज्ञान न्यायालय में प्रस्तुत किया।

हमने वकील प्रार्थी को सुना। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात एवं पैमाईश रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रार्थीगण प्रश्नगत आराजी के रिकार्डेड खातेदार है एवं पैमाईस रिपोर्ट से पूर्णतया सन्तुष्ट है। प्रार्थीगण की आराजी से लगते हुऐ अन्य खातेदारान से भविष्य में किसी प्रकार का कोई झगडा नही हो, इसके लिए प्रार्थीगण मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढी कराना चाहते हैं।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एलआर एक्ट न्यायालय स्वीकार करना उचित समझता हैं।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एलआर एक्ट स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार मालाखेडा को आदेश दिये जाते है कि मुताबिक सीमाज्ञान दिनांक 31.05.2024 के अनुसार प्रार्थीगण की हाल 658 रकबा 0.08 है0, 659 रकबा 0.12 है0, 717/4288 रकबा 0.13 है0, 725 रकबा 0.47 है0, 726 रकबा 0.05 है0, 727 रकबा 0.05 है0, 728 रकबा 0.12 है0, किता 7 रकबा 1.02 है0 वाके ग्राम हल्दीना, तह मालाखेडा जिला अलवर की पत्थरगढी करवायें।

(देवी सिंह)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी
मालाखेडा

निर्णय आज दिनांक 01.07.2024 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सुनाया गया।

(देवी सिंह)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी
मालाखेडा